1 13

पत्र संख्या– B.S.D.M./ KYP ग्रा॰ 18 / 2023 – 3914

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी केवाईपी केंद्र संचालक।
बिहार कौशल विकास मिशन।

पटना, दिनांकः 13/12/2024

विषयः कुशल युवा कार्यक्रम में अभ्यर्थियों का अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया सुदृढ़ करने हेतु किए जा रहे जा रहे बदलाव के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सात निश्चय योजना के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुशल युवा कार्यक्रम में प्रत्येक महीना योग्य अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाता है । बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के अभ्यर्थियों का अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने एवं मूल्यांकन के प्रति अभ्यर्थियों की गंभीरता को बढ़ाने हेतु अंतिम मूल्यांकन पूर्व निर्धारित पालियो में कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस संदर्भ में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं-

1. दिसंबर 2024 माह से कुशल युवा कार्यक्रम में अभ्यर्थियों का अंतिम मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित पालियों में किया जाएगा। प्रत्येक पाली 2 घंटे की होगी तथा एक पाली में केन्द्रों की अनुमोदित क्षमता के आधार पर नामित 20 अथवा 30 अभ्यर्थियों का ही मूल्यांकन संभव हो पाएगा।
2. MKCL के द्वारा प्रत्येक माह CUT-OFF Date निर्धारित की जाती है, इस CUT-OFF Date के बाद योग्य अभ्यर्थियों की सूची हॉल टिकट के साथ–साथ संबंधित केंद्रों को प्रेषित की जाएगी। प्रत्येक महीने के 20 तारीख को कट-ऑफ डेट निर्धारित किया जाएगा ।
3. प्रत्येक हॉल टिकट में यह विवरणी अंकित होगी कि अभ्यर्थी का मूल्यांकन किस तिथि को किस पाली में होना है। यदि अभ्यर्थी मूल्यांकन हेतु निर्धारित पाली में अनुपस्थित होते हैं, तो उनको उस मूल्यांकन संबंधित प्रयास में अनुपस्थित माना जाएगा।

4. सभी केंद्रों को निर्देश दिया जाता है कि पूरे मूल्यांकन परीक्षा अवधि में केन्द्रों पर अनुमोदित उपकरण यथा समस्त कंप्यूटर, Power Backup, CCTV Footage एवं Backup Device एवं प्रशिक्षण / मूल्यांकन संबंधी अन्य वांछित उपकरण क्रियाशील रखना सुनिश्चित करेंगे। इस निदेश के गैर अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा एवं ऐसे केन्द्रों पर नियमसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
5. सभी केन्द्रों द्वारा पिछले (Immediate Previous) मूल्यांकन से संबंधित सत्रों का CCTV Footage अनिवार्य रुप से सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार कौशल विकास मिशन के जिला स्तरीय पदाधिकारी अथवा मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कभी भी इसकी जाँच की जा सकती है एवं गैर अनुपालन की स्थिति में मिशन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
6. निदेशित किया जाता है कि सभी केन्द्र पूरे मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य रुप से कदाचार मुक्त रखेंगे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार प्रतिवेदित होने अथवा सिद्ध होने पर केन्द्र का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
7. सभी अभ्यर्थियों को संशोधित मूल्यांकन प्रकिया से अवगत कराना एवं संशोधित प्रकिया के अनुरुप तैयारी करना सभी केन्द्रों का दायित्त्व है।
8. प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार एवम रविवार को सामान्यतः फाइनल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

अतएव सभी केंद्र संचालकों को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में अभ्यर्थियों के अंतिम मूल्यांकन हेतु आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

12/12/24

(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकाश मिशन,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: 3914 पटना, दिनांकः 13.12.24

प्रतिलिपिः
1. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी जिला नियोजन पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/12/24

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकाश मिशन